

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : एफ.8(1)गृह-1 / 2023

जयपुर, दिनांक : 4.10.2023

महानिदेशक पुलिस
राजस्थान जयपुर

विषय :- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यग्रहण नहीं करने के संबंध में।

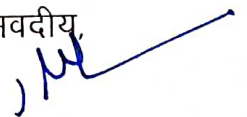
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आज्ञा दिनांक 31.07.2023, 01.08.2023, 02.08.2023, 21.09.2023, 25.09.2023, 28.09.2023, 30.09.2023 एवं 03.10.2023 के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी किये गये थे एवं उक्त आदेशों में स्थानान्तरित अधिकारियों को यह निर्देश भी दिये गये थे कि वे वर्तमान पद से अविलम्ब कार्यमुक्त होकर एवं बिना कार्यग्रहण का उपयोग किये नवीन पद पर कार्यग्रहण कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। परन्तु यह ध्यान में लाया गया है कि उक्त निर्देशों के बावजूद कतिपय अधिकारियों द्वारा आदिनांक तक नवीन पद पर कार्यग्रहण नहीं किया है। यह भी संभव है कि दिनांक 31.07.2023 के पूर्व के स्थानान्तरण आदेशों की भी अभी तक पूर्ण पालना नहीं की गई हो। स्थानान्तरण आदेशों की पालना अभी तक नहीं होने पर इसे राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है।

अतः उक्त स्थानान्तरित अधिकारियों को निर्देशित कराने का श्रम करावें कि वे दिनांक 05.10.2023 तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग की ईमेल आईडी home.police@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करें।

उक्त निर्देशों की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव अविलम्ब इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

भवदीय,



(जगवीर सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस